प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 दिनांक 28 जुलाई, 2021

विषयः- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, कम्पनियों, निगमों में प्रतिनियुक्ति सरकारी सेवकों के संविलयन के पश्चात उनकें परिवार को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या जी-2-3573/10-925-60 दिनांक 04 मार्च 1971 के द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, कम्पनियों, निगमों में प्रतिनियुक्ति पर गये सरकारी सेवकों के संविलयन संबंधी दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 04 मार्च 1971 का बिन्दु-2(छ) निम्नानुसार है-

"2(छ) उक्त प्रकार के उपक्रम आदि में इस प्रकार संविलीन हुये सेवक के संबंध में राज्य सरकार किसी अन्य प्रकार की पेंशन, जैसे फेमिली पेंशन, असाधारण पेंशन आदि तथा सेवा निवृत्युपरान्त यात्रा भत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं होगी और न ही ऐसे संविलीन सेवक राज्य पेंशन नियमों में हुये ऐसे किसी संशोधन के परिणाम का दावेदार हो सकेगा जो उसके संविलयन की तिथि के बाद की तिथि से प्रवर्तन में आये।"

3- उ0प्र0 सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों का आमेलन नियमावली, 1984 जो तात्कालिक प्रभाव से लागू है, के प्रस्तर-9 में पारिवारिक पेंशन के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था है -

"9(1) तत्समय लागू सुसंगत नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन का लाभ केवल उन कर्मचारियों के परिवारों को अनुमन्य होगा जो इस नियमावली के अधीन सरकार के पेंशन के हकदार थे और उन कर्मचारियों के परिवारों को अनुमन्य नहीं होगा जो केवल आनुतोषिक के हकदार हैं (अर्थात् जो सरकार के अधीन 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के पूर्व उपक्रम में आमेलित कर लिये गये हैं)।

(2) पारिवारिक पेंशन सरकार से केवल उसी दशा में अनुमन्य होगी जबकि उपक्रम से कोई ऐसी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न हो।"

4- उ0प्र0 सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों का आमेलन नियमावली, 1984 में सार्वजनिक उपक्रमों आदि में संविलीन सरकारी सेवकों की मृत्यु की दशा में उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था उपरोक्तानुसार की गयी है, परन्तु उक्त नियमावली, 1984 के प्रख्यापन की तिथि के पूर्व के प्रकरण इस नियमावली से आच्छादित नही हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- शासन के समक्ष ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, कम्पनियों, निगमों में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवकों का संविलयन शासनादेश दिनांक 04 मार्च 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत हुआ, और उक्त शासनादेश में पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसे कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके परिवारों को पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। कार्यालय महालेखाकार, प्रयागराज के पत्र दिनांक 01-04-2021 द्वारा ऐसे प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए समुचित शासनादेश निर्गत किये जाने का सुझाव शासन को दिया गया है।

6- प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक 04 मार्च 1971 से आच्छादित सरकारी सेवकों के सार्वजनिक उपक्रमों, कम्पनियों, निगमों में संविलयन के प्रकरणों में, यदि सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रमों, कम्पनियों, निगमों में पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इन आदेशों के उपरान्त किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देय नहीं होगा। इन आदेशों से ऐसे प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के पूर्व हो चुकी हो ।

भवदीय,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।